भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 604
25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी नियोजन में नागरिकों की भागीदारी

604. **श्री टी.आर.बालू:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि नागरिकों और उनके निर्वाचित नेताओं को जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शहरों के समावेशी विकास और शहरी नियोजन प्रक्रियाओं में हितधारक बनाया जाना चाहिए और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) जी हां। भारतीय संविधान की 12 $^{वीं}$ अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

यूआरडीपीएफआई (शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन) दिशानिर्देश शहरी योजनाओं की तैयारी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं और योजना प्रक्रिया में सार्वजनिक भागीदारी पर जोर देते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थानीय परिस्थितियों और उपयुक्तता के अनुसार इन दिशानिर्देशों को अपनाते हैं। जनता से सुझाव/आपत्तियाँ आमंत्रित करना, हितधारकों के साथ परामर्श करना मास्टर प्लान की तैयारी का एक अभिन्न अंग है। मास्टर प्लान को अंततः राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

****